अध्याय II

अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए प्रणाली एवं नियंत्रण

सारांश

- स्वीकृत उत्खनन पट्टों का विस्तृत डाटाबेस विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था।
- भौतिक सत्यापन के दौरान जिन 40 उत्खनन पट्टा स्थलों का दौरा किया गया उनमें से 33 में खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को इंगित करने वाले सीमा स्तंभ/चिन्ह नहीं पाए गए। इन उत्खनन पट्टों में से नौ उत्खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्र के आस–पास बफर जोन अनुरक्षित नहीं था तथा 37 पट्टों में पट्टेदारों द्वारा वृक्षारोपण का कोई कार्य नहीं किया गया।
- निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में प्रयुक्त हुए गौण खनिजों का निरीक्षण एवं सत्यापन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नियमानुसार नहीं किया जा रहा था। पट्टेधारियों द्वारा उत्खनन पट्टों की मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब था।
- चयनित नौ जिलों में से तीन जिलों में कोई जांच चौकी स्थापित नहीं की गई थी जबकि शेष छः जिलों में 18 जांच चौकियां बिना तौल कांटा के स्थापित थीं। दो जिलों में विभाग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित किये बिना ही छः भण्डारण अनुज्ञा पत्र जारी किये गये थे। वर्ष 2015–16 से 2020–21 (जून 2020 तक) के दौरान खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के दर्ज 3,536 प्रकरणों में ₹ 10.51 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।
- छः जिलों में, निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध पट्टों का निरीक्षण करने में 52 से 92 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी पाई गई। जिला टास्क फोर्स की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई तथा बैठकों के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था।
- गौण खनिजों के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए विभाग ई–परमिट प्रणाली एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली को लागू करने में विफल रहा।

2.1 खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए तंत्र

खनिजों के संरक्षण एवं शासन को अधिकतम राजस्व सुनिश्चित करने के लिए खनिजों का एक व्यवस्थित उत्खनन आवश्यक है। अतः उत्खनन पट्टा प्रदान करने, उत्खनन, खनिजों के परिवहन से लेकर पूरी तरह से उत्खनित खदान क्षेत्र को बंद/पुनरोद्धार, करने तथा अवैध खनन को रोकने एवं नियंत्रित करने तक खनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र अत्यंत आवश्यक है।

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के धारा 15 और 23(ग) के तहत, राज्य सरकार गौण खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने और खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने के लिए नियम बना सकती है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसूची एक तथा दो में

विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टा प्रदान करने, अधिकार प्रदान करने, प्रक्रिया, अवधि एवं उत्खनन पट्टों के सामान्य शर्तों के प्रावधान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम, 2009 में विधि सम्मत परमिट के बिना खनिजों के भण्डारण एवं परिवहन को रोकने की व्यवस्था निर्धारित है। विभाग द्वारा स्थापित खनन गतिविधियों के लिए इन नियमों के अनुपालन एवं निगरानी तंत्र की जांच लेखापरीक्षा के दौरान की गई थी जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.1.1 उत्खनन पट्टों के व्यापक डेटाबेस का संधारण

छ.गौ.ख. नियम 2015 के नियम 23–क के तहत राज्य शासन[1]/संचालक[2]/जिले[3] के कलेक्टर द्वारा इलेक्ट्रानिक नीलामी[4]/निविदा[5] की प्रक्रिया के माध्यम से उत्खनन पट्टे जारी किये गये। छ.गौ.ख. नियम के नियम 41 के अनुसार खनन अधिकारी/सहायक खनन अधिकारी द्वारा फॉर्म–XII में उत्खनन पट्टों का रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें पट्टा प्रदान करने की तिथि, प्रदान किए गए पट्टे की अवस्थिति एवं सीमा, उत्खनन योजना के अनुमोदन का दिनांक एवं अवधि, पर्यावरण प्रभाव आकलन (प. प्र. आ.) के अनुमति का दिनांक तथा अवधि, नवीकरण, वास्तविक समाप्ति/त्यागने के दिनांक आदि से संबंधित जानकारी शामिल होंगे। स्वीकृत पटटों को वर्तमान, समाप्त, व्यपगत निर्धारित पट्टों के रूप में चिन्हित करने के लिए सभी उत्खनन पट्टों, वर्तमान में कार्यरत है या अन्यथा का एक परिशुद्ध सूची आवश्यक है।

पट्टों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है–

- **वर्तमान पट्टे**– जिनकी स्वीकृत अवधि वैध है और या तो कार्यशील हों या निष्क्रिय हों ।
- **समाप्त हो चुके पट्टे**– जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है और जिनके नवीनीकरण के आवेदन लंबित हैं। नवीनीकरण आवेदनों को अंतिम रूप देने पर ऐसे पट्टे वर्तमान बन जाते हैं।
- **व्यपगत पट्टे**– जहां खनन कार्य एक वर्ष की अवधि के भीतर शुरू नहीं किया गया था अथवा छहः महीने की संचयी अवधि से बंद हो।
- **निर्धारित पट्टे**– जिन्हें पट्टे की शर्तों के उल्लंघन और अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण रद्द कर दिया गया है।

वर्ष 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान चयनित नौ जिलों में ई–टेंडर/आवेदन के आधार पर 132 उत्खनन पट्टे स्वीकृत किये गये। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2021 तक राज्य में गौण खनिजों के कुल 1,957 उत्खनन पट्टे स्वीकृत किए गए थे।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि उत्खनन पट्टों का एक व्यापक वर्गीकृत डेटाबेस जिसमें पट्टे की समाप्ति की तिथि, दाखिल नवीनीकरण आवेदन का विवरण, पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति, अवस्थिति और सीमा विवरण यानी भू–निर्देशांक आदि शामिल हैं, को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था। केवल वर्तमान उत्खनन पट्टों की

---

[1] अनुसूची एक के भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट खनिज

[2] अनुसूची एक के भाग ग और अनुसूची दो के भाग क में निर्दिष्ट खनिज, जहां लागू क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक है।

[3] अनुसूची एक के भाग ग और अनुसूची दो के भाग क में निर्दिष्ट खनिज, जहां लागू क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक है।

[4] अनुसूची एक के भाग क और भाग ख में निर्दिष्ट खनिज

[5] अनुसूची एक के भाग ग और अनुसूची दो के भाग क में निर्दिष्ट खनिज

सूची इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई थी, जिसमें ऐसी सभी जानकारी शामिल नहीं थी, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि जिला कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्खनन पट्टों की सूची तैयार की जाती थी जिसमें पट्टों का पूर्ण विवरण संधारित किया जाता था। जिला कार्यालय सभी उत्खनन पट्टों का डेटाबेस संधारित करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निर्धारित प्रारूप में उत्खनन पट्टों का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था। विभाग द्वारा संधारित सूचना फॉर्म– XII के अनुरूप नहीं है और उत्खनन स्थलों के संपूर्ण डेटा/जानकारी को नहीं दर्शाती है, और जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, उत्खनन क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

अनुशंसा :

1. ***जिला कार्यालयों को निर्धारित प्रारूप में उत्खनन पट्टों का डाटाबेस संधारित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।***

2.1.2 खान सीमा स्तंभ/सीमांकन का अभाव

छ.गौ.ख. नियम, 2015 के नियम 51 के उपनियम 11 के तहत निर्दिष्ट उत्खनन पट्टों के शर्तों के अनुसार, पट्टेदार अपने खर्च पर, खनन योजना में दिखाए गए सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक सीमा चिह्नों और सीमा स्तंभों का निर्माण, रखरखाव और सही मरम्मत करेगा।

लेखापरीक्षा ने खनन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ चयनित जिलों में स्थित 40[6] उत्खनन पट्टों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि चयनित 40 गौण खनिज खदानों में से 33 खदानों (82.5 प्रतिशत) में खदान सीमा स्तंभ/सीमांकन मौजूद नहीं थे। यह उत्खनन पट्टा विलेख (भाग VII के क्रमांक दो) की शर्तों का उल्लंघन था, जो सीमा चिह्नों को अच्छी अवस्था में बनाए रखने और सभी कोने के खंभों पर निर्देशांकों को चिह्नित करने का प्रावधान करता है। खान सीमाओं/सीमांकन न होने के कारण पट्टाकृत क्षेत्रों की प्रथम दृष्टया पहचान संभव नहीं थी। इसके अभाव में पट्टाकृत क्षेत्रों के बाहर अवैध उत्खनन की गुंजाइश रहती है और इसका पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है।

[6] चार जिलों यथा रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर एवं जांजगीर–चांपा के अन्तर्गत 25 प्रकरणों (चयनित 40 प्रकरणों में से 62.5 प्रतिशत) में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त भौतिक प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं किये गये।

चित्रः 2.1: मंदिर हसौद, आरंग के पट्टा क्षेत्र खसरा क्रमांक 678 एवं 689 (कार्यरत) के आस पास किसी भौतिक सीमा स्तम्भ के नहीं होने को दर्शाता हुआ चित्र। (चित्र का दिनांक अक्टूबर 2021)

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि राजस्व अधिकारियों द्वारा पट्टा स्वीकृत करते समय पट्टों का सीमांकन किया गया था, परन्तु प्राकृतिक गतिविधियों के कारण इन्हें क्षति पहुँचती है। वर्तमान में उत्खनन पट्टों के निर्देशांकों का उल्लेख खनन योजनाओं (ख.यो.) में किया गया था तथा पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्खनन पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (छ.वि.प्रौ.प.) के सहयोग से उपग्रह चित्रों के माध्यम से निगरानी की जाती थी। इसके अलावा, सभी उत्खनन पट्टों में, भारतीय खान ब्यूरो (भा.खा.ब्यू.) के निर्धारित मानक के अनुसार, सीमा स्तंभों का रखरखाव अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि सीमा स्तंभों का रखरखाव सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है लेखापरीक्षा द्वारा दौरा किए गए गौण खनिज खदानों में से अधिकांश (82.5 प्रतिशत) में पट्टा क्षेत्र के सीमांकन को इंगित करने के लिए सीमा स्तंभों और सीमा चिह्नों को नियम में निर्धारित नहीं पाया गया था। इसके अलावा, छ.वि.प्रौ.प. को केवल 120 खानों (कुल 1,957 खानों में से) के संबंध में खनन निगरानी प्रणाली के लिए लगाया गया था।

अनुशंसा :

2. ***विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खनन योजना में दर्शाए गए सीमांकन को इंगित करने के लिए पट्टेदारों द्वारा सीमा चिन्हों के साथ सीमा स्तंभों का रखरखाव किया जा रहा है।***

2.1.3 बफर जोन बनाए रखना

छ.गौ.ख. नियम, 2015 के नियम 42 के तहत, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी खदान संचालन शुरू करने के लिए लागू कानून के तहत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, अनापत्ति प्राप्त करने के बाद उत्खनन पट्टा का स्वीकृति प्रदान करेगा। भारत सरकार ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (प.प्र.आ.) अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया (जनवरी 2016), जिसमें गौण खनिजों के खनन के लिए अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति (प.स्वी.) अनिवार्य कर दी गई थी। तदनुसार, पट्टेदारों को उत्खनन पट्टा प्रदाय करने/नवीनीकरण से पहले प.स्वी. प्राप्त करना आवश्यक था। प.स्वी. की शर्तों के अनुसार खनन पट्टों के लिए बफर जोन/सुरक्षा जोन की सीमा 7.5 मीटर को बनाए रखना तथा पट्टा क्षेत्र के चारों ओर

वृक्षारोपण अनिवार्य था। बफर जोन की अनुमति का अर्थ है पट्टे के कुल खनन योग्य क्षेत्र में कमी, और परिणामतः खनिज भंडार में कमी क्योंकि बफर जोन में खनिजों का उत्खनन प्रतिबंधित है।

विभाग द्वारा अनुमोदित उत्खनन योजनाओं में बफर जोन/सुरक्षा जोन सीमा के आकार/क्षेत्र में एकरूपता नहीं थी। चालीस उत्खनन पट्टों के भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि नौ उत्खनन पट्टों में पट्टा क्षेत्र के आसपास बफर जोन नहीं बनाया गया था और 37 पट्टों (92.5 प्रतिशत) में पट्टेदारों द्वारा कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि गौण खनिजों के मामले में वर्ष 2015 से खनन योजना के अनुसार खनन कार्य करना अनिवार्य था, जिसमें लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाना था। अधिकांश उत्खनन पट्टों में खनन कार्य 2015 से पहले प्रारंभ हो गया था, जहां खनन कार्य स्वीकृत पट्टा क्षेत्र की परिधि से किया गया था क्योंकि पट्टा प्रदान करने के समय स्वीकृत खनन योजना के अनुसार खनन कार्य करने का कोई प्रावधान नहीं था। इन पट्टों के मामले में, प.स्वी. में निर्धारित 7.5 मीटर के सुरक्षा/बफर जोन को छोड़ना संभव नहीं था। नई खदानों में बफर जोन छोड़ने के प्रावधान का पालन किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व स्वीकृत उत्खनन पट्टों के नवीनीकरण के समय पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। इसके अतिरिक्त जिला खनन प्राधिकारियों ने न तो मौजूदा पट्टों का सर्वेक्षण किया और न ही पट्टे वाले क्षेत्रों में 7–5 मीटर से कम बफर जोन की उपलब्धता/अनुमति दर्ज की।

2.1.4 उत्खनन पट्टों की मासिक विवरणी

छ.गौ.ख. नियम 2015 के नियम 51 (20) (क) के अनुसार, पट्टेदार हर महीने के दसवें दिन फॉर्म–XV में एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें पिछले महीने में उत्खनित, हटाए गए/उपभोग किए गए खनिजों की कुल मात्रा होगी। आगे, नियम 51(20)(घ) के तहत यह निर्धारित किया गया था कि यदि पट्टेदार निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तक ₹ 500 प्रति माह की शास्ति अधिरोपित की जायेगी। चयनित पांच जिलों में 125 में से 37 उत्खनन पट्टाधारियों ने नियमानुसार समय पर मासिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की तथा विवरणी प्रस्तुत करने में 1 से 19 माह तक का विलम्ब हुआ।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि नियत समय में मासिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान था तथा पट्टेदारों से वसूल कर लिया गया था।

विभाग द्वारा रायल्टी के सही निर्धारण के लिए मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में समयबद्धता आवश्यक है। विवरणी के अभाव में, उत्पादित/खपत/हटाए गए खनिज की मात्रा का प्रतिसत्यापन नहीं किया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप रॉयल्टी का कम मूल्यांकन हो सकता है। विलंब को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा शास्ति प्रावधान प्रभावी नहीं हैं। इसलिए, शासन को विलंब को हतोत्साहित करने हेतु और अधिक कड़े प्रावधान पर विचार करना चाहिए।

2.1.5 गौण खनिजों का निजी/शासकीय निर्माण कार्यों में उपयोग

छ.गौ.ख. नियम के नियम 72(1) के अनुसार, आवासीय भवन या विक्रय के लिए भवनों के निर्माण में लगे प्रत्येक व्यक्ति, कंपनी, फर्म, सोसायटी/ एसोसिएशन, फॉर्म–XXIII में, उपार्जन की तिथि, खनिज का नाम, वाहन संख्या, खदान का नाम, अभिवहन पास संख्या और मात्रा जैसे विवरण सहित, उपार्जित और निर्माण में उपयोग किए गए सभी गौण

खनिजों का सही हिसाब रखना होगा और संबंधित जिले के खनन अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को, फॉर्म–XIV में उपार्जित और उपभोग किए गए गौण खनिजों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट हर तिमाही की समाप्ति के बाद 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म ने जिले के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिज वैध परमिट के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं या स्वीकृत उत्खनि पट्टों से खरीदे गये हैं, जिले में किये जा रहे शासकीय निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए (जून 2016) थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी चयनित जिले में ऐसे व्यक्तियों, कंपनी, फर्मों आदि द्वारा गौण खनिजों के उपार्जन और उपयोग पर तिमाही रिपोर्ट जिला खनि प्राधिकारियों को प्रस्तुत नहीं की गई, जैसा कि उपरोक्त नियम में निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट और आवश्यक विवरण के अभाव में, निजी संस्थाओं द्वारा उपार्जित किये जा रहे और निर्माण में उपयोग किए जा रहे गौण खनिजों के स्रोत को खनि अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। चयनित जिलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त गौण खनिजों के स्रोत/मात्रा को सत्यापित करने के लिए शासकीय निर्माण कार्यों के स्थलों पर निरीक्षण नहीं किया गया था।

अतः गौण खनिजों के स्रोत की वैधता के सत्यापन के अभाव में राज्य में निर्माण गतिविधियों में अवैध रूप से उत्खनित गौण खनिजों के उपयोग की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने रायपुर में कुछ निजी निर्माण स्थलों का दौरा किया और मुरूम का बड़े पैमाने पर उपयोग देखा।

चित्र–2.2 (क): निजी निर्माण स्थलों पर मुरूम के उपयोग को दर्शाने वाला चित्र (आवासीय परियोजना, रायपुर, चित्र का माहः सितंबर 2021)

चित्र–2.2 (ख): निजी निर्माण स्थलों पर मुरूम के उपयोग को दर्शाने वाला चित्र (वाणिज्यिक परियोजना, रायपुर, चित्र का माहः सितंबर 2021)

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि विभागीय अधिकारियों ने समय–समय पर शासकीय/निजी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय निर्माण कार्यों के स्थलों पर किए गए निरीक्षणों से संबंधित अभिलेख अथवा विभाग को प्रस्तुत तिमाही प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

2.1.6 चेक पोस्ट की स्थापना और कार्यप्रणाली

छत्तीसगढ़ की राज्य खनिज नीति (2013 में यथासंशोधित) में प्रावधान है कि खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के समन्वय से मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट एवं तुलाचौकी स्थापित की जायेगी। इसके अतिरिक्त छ.ख.ख.प.भ. नियम के नियम 6 प्रावधानित करता है कि वैध अभिवहन पास के बिना खनिज/अयस्क के परिवहन तथा भण्डारण रोकने की दृष्टि से खनिजों तथा उसके प्रसंस्करित उत्पादों की श्रेणी, मात्रा आदि एवं अभिवहन पास की वैधता की जांच हेतु संचालक भौमिकी और खनिकर्म, राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर जाँच चौकी, तौल कांटा के साथ या उसके बिना स्थापित कर सकेगा। चेक पोस्ट पर जहाँ पास में कोई तुला कांटा नहीं है, परिवहन किये जाने वाले खनिजों की मात्रा घन मीटर में मापी जायेगी और फिर निर्धारित सूत्र के अनुसार टन में परिवर्तित की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ चयनित जिलों में से तीन (मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार) में कोई चेक पोस्ट स्थापित नहीं किया गया था। कवर्धा जिले में एक चेक पोस्ट वर्ष 2017–18 तक चालू थी, लेकिन जनशक्ति की कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया था, जैसा कि जि.ख.अ. ने बताया था। शेष छः जिलों[7] में 18 जांच चौकियां स्थापित की गई थी। आगे, यह देखा गया कि छः जिलों में स्थापित 18 जांच चौकियों में से किसी में भी तौल कांटा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। खानों के भौगोलिक वितरण, चेक पोस्टों की स्थिति और वैकल्पिक मार्गों की उपलब्धता को देखते हुए मौजूदा चेक पोस्ट अपर्याप्त

[7] जांजगीर एवं कांकेर में 2–2, रायपुर एवं बिलासपुर में 3–3, तथा अम्बिकापुर एवं दुर्ग में 4–4।

पाए गए, जैसा कि **चित्र–2.3** में दिखाया गया है। तथापि, विभाग के अभिलेखों में चेक पोस्टों की संख्या की पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए कोई आंकलन नहीं पाया गया।

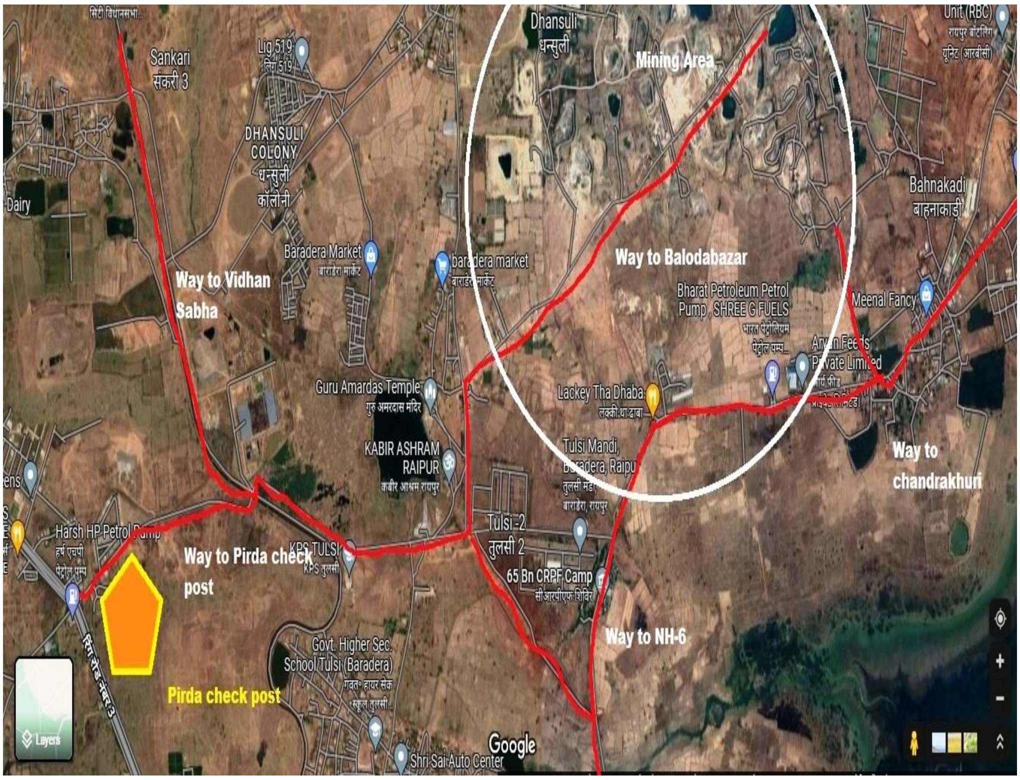

चित्र– 2.3: खनन क्षेत्र, वैकल्पिक मार्ग और चेक पोस्ट दर्शाती गूगल छवि।

चित्र–2.3 से देखा जा सकता है कि नरदहा, बहनाकाड़ी एवं धनसुली क्षेत्र से खनिजों के परिवहन के लिए कई वैकल्पिक मार्ग थे, जबकि चेक पोस्ट पिरदा चौक के पास ही स्थापित किया गया है। अतः दूसरे मार्ग से गुजरने वाले वाहन चेक पोस्ट से बच सकते थे।

आगे, यह देखा गया कि उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार निर्धारित फार्मूले के अनुसार चेक पोस्ट पर परिवहन किए जा रहे खनिजों की वास्तविक मात्रा को मापे बिना खनि अधिकारियों द्वारा जारी चेक पोस्ट पंजी में अभिवहन पासों से प्रविष्टियां की जा रही थीं।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि राज्य में 45 अस्थायी जांच चौकियां कार्यरत हैं, जिनमें से दो जिलों में केवल चार जांच चौकियों में तौल कांटा की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में, चेक पोस्ट की उपयोगिता के आंकलन के आधार पर, मौजूदा चेक पोस्ट के अलावा जिला खनि अधिकारियों द्वारा विशेष उड़न दस्ते का गठन किया गया है।

शासन का उत्तर इंगित करता है कि चेक पोस्ट के माध्यम से अवैध परिवहन पर विभाग की सतर्कता में कमी थी।

अनुशंसा :

3. सरकार को मुंगेली, कवर्धा और बलौदाबाजार जिलों में निश्चित समय सीमा के भीतर पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट स्थापित करने चाहिए और खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग की जांच के लिए सभी चेक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे और तुलाकांटे की सुविधा स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।

2.1.7 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं करने वाले आवेदकों को भण्डारण परमिट जारी करना

छ.गौ.ख.प.भ. नियम के नियम 7 की उप–धारा (4)(iii) निर्धारित करती है कि खनिजों के अस्थाई भण्डारण/बेनिफिशिएशन/क्रशिंग के लिए परमिट जारी करने और उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र के साथ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अ.प्र.प.) संलग्न किया जाए।

लेखापरीक्षा ने दुर्ग और कवर्धा जिलों में देखा कि निर्दिष्ट स्थल में सामग्री के परिवहन एवं अस्थायी भण्डारण के लिए 33 चयनित भण्डारण अनुज्ञापत्रों में से छः भण्डारण अनुज्ञापत्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित किये बिना प्रदान किये गये थे। इस प्रकार, विभाग जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित उपरोक्त नियमों एवं प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि जल/वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत प.स्वी., अ.प्र.प. की शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में खनिज साधन विभाग कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छ.गौ.ख.प.भ. नियमावली 2009 के नियम 7(4)(iii) के तहत भण्डारण परमिट के लिए आवेदन के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए, जिसे विभाग द्वारा परमिट जारी करते समय सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.1.8 गौण खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर शास्ति आरोपित करना

छ.गौ.ख. नियम, 2015 के उप–नियम 71(5) में कहा गया है कि कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उप संचालक/खनिज अधिकारी या जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, अभियोजन संस्थित करने से पहले या उसके पश्चात, उप–नियम(1) के के अधीन इस प्रकार कारित अपराध का, इस प्रकार निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य के भुगतान पर और ऐसे जुर्माने को, जो इस तरह निकाले गए या परिवहन किए गए खनिज के बाजार मूल्य के दोगुने[8] तक हो सकता है, लेकिन किसी भी मामले में पांच हजार रुपए कम नहीं होगा अथवा इस प्रकार निकाले गए खनिजों की रायल्टी का दस गुने से, इनमें से जो भी अधिक हो, का भुगतान करने पर प्रशमन कर सकेगा। इसके अलावा, खा.ख.वि.वि अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23(बी) के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए उपरोक्त नियम 71 में संशोधन (जून 2020) किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16 से 2020–21 (जून 2020 तक) के दौरान चयनित जिलों/केंद्रीय उड़न दस्ते (कें.उ.द.) में खनन अधिकारियों द्वारा अवैध निकासी के कुल 1,651 मामले और अवैध परिवहन के 13,049 मामले दर्ज किए गए थे और ₹ 23.27 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई थी। इस संबंध में यह देखा गया कि अवैध निकासी के 792 प्रकरणों एवं अवैध परिवहन के 2,744 प्रकरणों में उपरोक्त नियमों के अनुसार अर्थदण्ड की राशि आरोपित नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप 2015–16 से

[8] जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित

2020–21 (जून 2020 तक)[9] की अवधि के दौरान ₹ 10.51 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट 2** और **3** में वर्णित है) की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि अवैध खनन/परिवहन के प्रकरणों पर कार्रवाई खा.ख.वि.वि अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी थी जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शास्ति की राशि की गणना नियमों के अनुसार निर्धारण नहीं की गई थी, जिसके कारण शास्ति का कम आरोपण हुआ।

2.1.9 खनन गतिविधियों का निरीक्षण/निगरानी

खानों और खदानों के निरीक्षण के लिए उ.स.ख.प्र./जि.ख.अ., स.ख.अ., खनि निरीक्षक (ख.नि.) और कांस्टेबल जिम्मेदार हैं। स.भौ.ख. के आदेश (मई 2008[10]) के अनुसार, उ.स.ख.प्र./जि.ख.अ. को वर्ष में एक बार अपने क्षेत्राधिकार में 50 प्रतिशत मुख्य और गौण खनिज खानों का निरीक्षण करना आवश्यक है, स.ख.अ. को अपने नियंत्रणाधीन सभी मुख्य और गौण खनिज खानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण करना आवश्यक है और ख.नि. को हर छहः महीने में एक बार मुख्य और गौण खनिज खानों का निरीक्षण करने और रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती हैः (i) क्या पट्टे के विवरण दिखाने वाले साइन बोर्ड लगाए गए थे, (ii) पट्टे वाले क्षेत्रों को उचित रूप से सीमांकित किया गया था, (iii) पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के बाहर खनिजों के खनन की पहचान, (iv) खनिज की उपलब्धता, उत्खनन और प्रेषित/भंडारित खनिज की मात्रा, (v) अभिलेखों का संधारण संतोषजनक हैं, और (vi) पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन, आदि।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–16 से 2019–20 के दौरान निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा लक्ष्यों के विरुद्ध निरीक्षण गतिविधियों में महत्वपूर्ण कमी थी, जैसा कि **तालिका–2.1** में दिया गया है।

तालिका–2.1: खानों के निरीक्षण में कमी का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या		किये गये निरीक्षणों की संख्या		निरीक्षण में कमी		कमी का प्रतिशत	
		जि.ख.अ. / स.ख.अ.	ख.नि.	जि.ख.अ. / स.ख.अ.	ख.नि.	जि.ख.अ./ स.ख.अ.	ख.नि.	जि.ख.अ. / स.ख.अ.	ख.नि.
1	दुर्ग	1508	2010	16*	उ.न.क **	-	-	-	-
2	मुंगेली	213	284	16	40	197	244	**92**	**86**
3	कवर्धा	125	166	237	154	0	12	-	**07**
4	रायपुर	1595	2126	366	343	1229	1783	**77**	**84**
5	बलौदाबाजार	1046	1394	82	306	964	1088	**92**	**78**
6	बिलासपुर	903	1204	74	529	829	675	**92**	**56**
7	जांजगीर–चांपा	1539	2052	353	561	1186	1491	**77**	**73**
8	कांकेर	218	290	उ.न.क.	उ.न.क.	-	-	-	-
9	अम्बिकापुर	977	1302	468	509	509	793	**52**	**61**

**केवल जि.ख.अ.   ** उपलब्ध नहीं कराया*

(स्रोतः जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी से संकलित)

[9] छ.गौ.ख. नियम के नियम 71 में संशोधन (जून 2020) के कारण खा.ख.वि.वि. की धारा 21 से 23–ख के तहत शास्ति आरोपित की जानी थी। लेखपरीक्षा आरोपणीय और और शास्ति की तुलना करने में सक्षम नहीं था क्योंकि शास्ति की शर्त अधिकतम राशि निर्धारित करती है जिस तक शास्ति आरोपित की जा सकती है।

[10] क्र./ 1675–90/ खनन–1/एफ क्र. 8/2007, दिनांक 24 मई 2008।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि छः जिलों में खानों के निरीक्षण में 52 से 92 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी थी। आगे, दो जिलों (दुर्ग एवं कांकेर) में संबंधित जि.ख.अ. द्वारा निरीक्षण का विवरण/संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गयी थी। साथ ही, वास्तव में किए गए निरीक्षणों से संबंधित प्रतिवेदन किसी भी चयनित जिले के अभिलेखों में नहीं पाए गए।

इसके अलावा, चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि निरीक्षण अधिकारियों/कर्मचारियों[11] की वास्तविक संख्या, स्वीकृत संख्या से काफी कम थी, और जिलों में वर्ष 2020–21 के दौरान कमी 20 से 60 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि **तालिका– 2.2** में वर्णित है। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य स्तर पर 157 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 67 पद रिक्त थे और कमी 43 प्रतिशत थी।

तालिका–2.2: निरीक्षण अधिकारियों की कमी का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	कमी का प्रतिशत
1	दुर्ग	05	03	**40**
2	मुंगेली	05	04	**20**
3	कवर्धा	05	02	**60**
4	रायपुर	07	03	**57**
5	बलौदाबाजार	04	03	**25**
6	बिलासपुर	25	15	**40**
7	जांजगीर–चांपा	04	03	**25**
8	कांकेर	05	03	**40**
9	अम्बिकापुर	07	03	**57**

(स्रोतः जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी से संकलित)

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि राज्य में खनि निरीक्षकों की कमी के कारण खानों के निरीक्षण में कमी थी। खनि निरीक्षकों के 35 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विभाग में निरीक्षण अधिकारियों की भारी कमी रही है। निरीक्षण गतिविधियों के लिए जनशक्ति की कमी के कारण, पर्याप्त निरीक्षण नहीं किया जा सका और इसने खनन गतिविधियों पर समग्र नियंत्रण और निगरानी को प्रभावित किया क्योंकि अवैध खनन को रोकने के लिए स्थल पर निरीक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

अनुशंसा :

4. विभाग को पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित कर निर्धारित मानदंडों के अनुसार निरीक्षण और निरीक्षण के उचित अभिलेखों के संधारण को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.1.10 जिला टास्क फोर्स

छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण को रोकने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक जिले में जिला टास्क फोर्स (जि.टा.फो.) का गठन किया (अक्टूबर 2005)। जि.टा.फो. में जिला कलेक्टर अध्यक्ष के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक, वन मंडलाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला खनि अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं। जि.टा.फो. को अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की सतत निगरानी

[11] उ.सं.ख.प्र., जि.ख.अ., स.ख.अ., ख.नि. एवं कांस्टेबल।

सुनिश्चित करने तथा इन मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मासिक आधार पर समीक्षा बैठकें आयोजित करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.टा.फो. की मासिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की गई थीं। जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैठकों के अभिलेखों के अनुसार, नमूना जांच किए गए छः जिलों में 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान 432 बैठकों के विरुद्ध केवल 17 बैठकें आयोजित की गई थीं। तीन जिलों[12] में हुई बैठकों के संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा, तीन जिलों में[13], जि.टा.फो. ने अवैध निकासी/परिवहन के 204 पंजीकृत मामलों की समीक्षा की और जुर्माना वसूल किया। चयनित जिलों में जि.टा.फो. की मासिक समीक्षा बैठकों का विवरण **तालिका–2.3** में विस्तृत है।

तालिका–2.3: 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान जि.टा.फो. की बैठक का विवरण

स. क्र.	जिले का नाम	आयोजित की जाने वाले बैठक की संख्या	वास्तविक रूप से की गयी बैठकों की संख्या	कमी का प्रतिशत
1	दुर्ग	72	01	99
2	मुंगेली	72	02	97
3	कवर्धा	72	01	99
4	रायपुर	72	उपलब्ध नहीं कराया गया	.
5	बलौदाबाजार	72	04	94
6	बिलासुपर	72	06	92
7	जांजगीर–चांपा	72	उपलब्ध नहीं कराया गया	.
8	कांकेर	72	03	96
9	अम्बिकापुर	72	उपलब्ध नहीं कराया गया	.

(स्रोतः जिला खनि अधिकारियों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी से संकलित)

इस प्रकार, जि.टा.फो. ने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं किया।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जिले में जि.टा.फो. की बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.1.11 केन्द्रीय उड़न दस्ता

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण के मामलों का निरीक्षण करने और विभाग में प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए स.ख.अ., ख.नि. और कांस्टेबलों को शामिल करते हुए सं.भौ.ख. के कार्यालय में एक केंद्रीय उड़न दस्ते (के.उ.द.) की स्थापना की गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा को के.उ.द. की स्थापना के लिए कोई औपचारिक आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार के.उ.द. औचक निरीक्षण कर रहा था। 2015–16 से 2020–21 की अवधि के दौरान, के.उ.द. ने अवैध खनन/भंडारण के 14 मामले और अवैध परिवहन के 305 मामले (अर्थात लगभग 53 मामले प्रति वर्ष) दर्ज किए और ₹ 1.34 करोड़ का जुर्माना वसूल किया। हालांकि, सं.भौ.ख. के कार्यालय में के.उ.द. के कार्यपद्धिति का कोई निश्चित

[12] रायपुर, जांजगीर–चांपा और अम्बिकापुर

[13] दुर्ग– 23 प्रकरण/ ₹ 4.75 लाख, बिलासपुर– 10 प्रकरण/ ₹ 10.42 लाख, एवं कांकेर– 171 प्रकरण।

तंत्र नहीं देखा गया क्योंकि प्राप्त शिकायतों और शिकायतों के विरूद्ध किए गए निरीक्षण/जांच का कोई रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।

सं.भौ.ख. ने बताया (जनवरी 2021) कि शासन/विभाग स्तर पर गंभीर शिकायतें मिलने पर के.उ.द. ने औचक निरीक्षण किया। शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन) को शासन/संचालनालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए के.उ.द. का प्रभार सौंपा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि के.उ.द. के संचालन के लिए संरचित तंत्र की अनुपस्थिति और शिकायतों के अभिलेखों के अनुरक्षण के अभाव में, प्रत्येक शिकायत के विरुद्ध की गयी कार्रवाई लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी।

2.2 गौण खनिजों के लिए अन्य नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन

2.2.1 जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग एक प्रभावी नियंत्रण उपाय है। इससे विभाग को अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती और कई जांच चौकियों की स्थापना के बिना खनिजों की आवाजाही की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वाहन ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के लाभों पर विचार करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन ने छ.ख.ख.प.भ. नियम 2009 में संशोधन किया (अप्रैल 2017) और नियम 17 अन्तःस्थापित किया। नियम 17(3)(ii) निर्धारित करता है कि इन संशोधनों की अधिसूचना से 180 दिनों के भीतर जीपीएस आधारित ट्रैकर स्थापित किए बिना मुख्य खनिजों/अयस्क और/या इसके परिष्कृत उत्पादों का परिवहन निषिद्ध होगा। हालांकि, गौण खनिजों के परिवहन के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया गया था। इस प्रकार, शासन ने मुख्य और गौण खनिजों के परिवहन पर नियंत्रण के लिए अलग–अलग मानक अपनाए हैं। गौण खनिजों के परिवहन के मामले में इसी प्रावधान को अपनाने से शासन के निगरानी तंत्र में काफी सुधार होगा।

शासन ने कहा (अप्रैल 2022) कि खनिज–ऑनलाइन 2.0 में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जा रही है।

2.2.2 गौण खनिजों के परिवहन के लिए ई–परमिट प्रणाली

फरवरी 2012 में यथासंशोधित छत्तीसगढ़ राज्य खनन नीति के अनुसार खनिजों के परिवहन हेतु ई–परमिट प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना था।
लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने आठ वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद गौण खनिजों के संबंध में ई–परमिट प्रणाली लागू नहीं की थी। सिस्टम जनित ई–अभिवहन पास के अभाव में, विभाग ने भौतिक अभिवहन पास जारी करना जारी रखा है। इस प्रकार, विभाग व्यवस्था में सुधार करने एवं अवैध खनन एवं परिवहन की सम्भावनाओं पर नियंत्रण करने में विफल रहा।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि नव अधिसूचित 31 गौण खनिजों के मामले में अभिवहन पास 'खनिज–ऑनलाइन' के माध्यम से जनरेट किए जा रहे हैं। शेष गौण खनिजों के मामले में भी ऑनलाइन अभिवहन पास जनरेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर इंगित करता है कि विभाग द्वारा आठ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी गौण खनिजों के परिवहन हेतु ई–परमिट प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया था।

अनुशंसा :

5. ***खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए विभाग को गौण खनिजों के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और ई–परमिट सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने पर विचार करना चाहिए।***

2.3 शिकायत निवारण प्रणाली

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, शिकायतों को दर्ज करने, समीक्षा करने, कार्रवाई शुरू करने और निगरानी करने के लिए एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली शासकीय/लोक सेवा कार्यालयों का एक अनिवार्य हिस्सा है। ऐसी प्रणाली आम जनता/हितधारकों की जरूरतों और सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ[14] में से पांच जिला खनि कार्यालय, खनन गतिविधियों से संबंधित आम जनता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए मैनुअल शिकायत पंजी संधारित कर रहे थे। तथापि, पाँच[15] में से चार जिला कार्यालयों में, शिकायतों के निराकरण की स्थिति, प्रकरणों के समाधान हेतु उठाये गये कदम एवं लम्बित विवरण, आदि सम्बन्धित पंजी में दर्ज नहीं किये जा रहे थे। शिकायतों के निराकरण की स्थिति अभिलेख में नहीं पायी गयी।

इस प्रकार, भौतिक रूप से प्राप्त शिकायतों के अभिलेखन एवं निराकरण की प्रणाली उचित नहीं थी, जो खराब शिकायत निवारण तंत्र को दर्शाती है।

शासन ने बताया (अप्रैल 2022) कि प्रत्येक जिले में शिकायत पंजी का संधारण किया गया था तथा प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जा चुकी है। आगे, विभाग ने 'खनिज ऑनलाइन' पोर्टल में ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने का प्रावधान किया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि की गई कार्रवाई तथा मैन्युअल रूप से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति पंजियों में दर्ज नहीं की गई थी।

---

[14] जि.ख.अ. कांकेर द्वारा पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था जबकि जि.ख.अ. बलौदाबाजार, दुर्ग और रायपुर ने लेखापरीक्षा को जांच हेतु पंजी प्रस्तुत नहीं किया।

[15] जांजगीर–चांपा के अलावा।